न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

सीताबाई बनाम दिनेश

किस्म मुकद्दमा धारा 223 मि० नं० 437/2011 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री के०एल० रावल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-9-2020	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट कैम्प स्थगित /COVID-19 कंडोलेन्स/हड़ताल होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-10-2020 को पेश हो। (महेन्द्र लोढ़ा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	
23-10-2020	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य (नगर निगम चुनाव) राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-11-2020 को पेश हो। रीडर भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	6-11-2020
6-11-2020	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक अपीलांट उपस्थित/ बहस हेतु समय चाहा/अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20-11-2020 को पेश हो/ (महेन्द्र लोढ़ा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	20-11-20 Note pressed [signature]
20-11-2020	पत्रावली कैम्प झालावाड़ पेश हुई/ अभिभाषक अपीलांट उपस्थित/ अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील को Not Press किया गया/ अतः अपील अपीलांट Not Press में खारिज की जाती है/ पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो/ (महेन्द्र लोढ़ा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	

2.12.2011

न्यायालय :-राजस्व अपील अधिकारी कोटा [राज.] केम्प झालावाड़

1. सीता बाई बेवा नारायण
2. भेरू लाल
3. घनश्याम
4. रघुनाथ पिसरान श्री नारायण
5. गंगा बाई
6. भारती बाई
7. सुमित्रा बाई

जाति चमार निवासीगण कोटड़ी तहसील पिड़ावा ----अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश वल्द राम प्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़
2. रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी कोटड़ी तहसील पिड़ावा

----रेस्पोडेन्ट

अपील व नाराजगी फैसला उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा दिनांक 24. 8. 11 प्रकरण सं. 37/2008 सीता बाई वगैराह बनाम दिनेश वगैराह धारा 212 रा. टी. ए.

मान्यवर,

उपरोक्त उनवान का एक दावा उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के न्यायालय में विचाराधीन है और उसके साथ ही धारा 212 रा. टी. ए. का प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन था जिसको माननीय उपखण्ड अधिकारी पिड़ा दिनांक 24. 8. 2011 को फैसल कर दिया है और प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया है । अपील निम्न कारणों से पेश है -

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं पत्रावली व संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।
2. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को कतई नजरअंदाज कर दिया है कि विवादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है । जिसपर रेस्पोडेन्ट ताकत के बल पर अतिक्रमण करना चाहते है । एवं मदाखलत एवं मजाहमत करना चाहते है ।

निरन्तर 2 पर